



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-133

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 272277 दिनांक 17/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Samoti Devi W/o Gopal Lal Yogi	श्रीमती सोमोती देवी पत्नी श्री गोपाल लाल योगी	c-98	152.08 SQ. YARD	Cooperative	KUSUM VIHAR Sector/Block-	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E- Patta)	पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कुसुम विहार के भूखण्ड संख्या सी-98 क्षेत्रफल 166.6 वर्ग गज का समिति द्वारा आवंटन पत्र दिनांक 02.08.1995 को श्रीमती सोमोती देवी पत्नी श्री गोपाल लाल योगी के नाम से जारी किया गया है। प्रकोष्ठ में उपलब्ध सदस्यता सूची में क्रम संख्या 210 पर भूखण्ड संख्या सी-98 पर श्रीमती समोती देवी पत्नी श्री गोपाल लाल योगी का नाम अंकित है। सोसायटी द्वारा जारी साईट प्लान में समिति के पदाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। आवेदिका श्रीमती समोती देवी द्वारा उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Samoti Devi W/o Gopal Lal Yogi को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |